वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2010–11

(हिन्दी)

(1–4–2010 से 31–3–2011)

पचांयती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला –171009

अध्याय–1

परिचय

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना वैधानिक रूप से वर्ष 1954 में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत की गई। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनिययम, 1952 के लागू होने से पूर्व प्रदेश में 280 ग्राम पंचायतें थी और उक्त अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात वर्ष 1954 में 466 ग्राम पंचायतें स्थापित की गई जिनकी संख्या 1962 में बढ़कर 638 हो गई। एक नवम्बर 1966 में पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाया गया, परिणामस्वरूप प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 1695 हो गई। मिलाए गए क्षेत्रों में पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज प्रणाली गठित थी जबकि इस राज्य में द्विस्तरीय प्रणाली गठित थी। पुराने तथा नए क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के उद्वेश्य से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 दिनांक 15 नवम्बर, 1970 से लागू किया और सम्पूर्ण प्रदेश में दो–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त राज्य में न्यायिक कार्यों के लिए अलग से न्याय पंचायतें गठित थी परन्तु 1977 में न्याय पंचायतों का अस्तित्व समाप्त करके न्यायिक कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपे गए। उपरोक्त अधिनियम के वर्ष 1970 में लागू होने के पश्चात ग्राम सभा क्षेत्रों का समय–2 पर पुनर्गठन तथा विभाजन करके नई ग्राम सभाओं का गठन किया गया। वर्ष 2005–06 में 206 नई ग्राम सभाओं का गठन किया गया जिसके फलस्वरुप ग्राम पंचायतों की संख्या 3243 हुई। वर्ष 2010 में नयी ग्राम सभाएं गठित नहीं की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 3243 ग्राम पंचायतें, 77 पंचायत समितियां और 12 जिला परिषदें गठित है।

ग्राम पंचायतों की वर्ष 1952 से संख्या का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वर्ष	ग्राम पचांयतों की संख्या
1	1952	280
2	1954	466
3	1962	638
4	1966	1695
5	1972	2035
6	1978	2357
7	1985	2597
8	1991	2757
9	1995	2922
10	2000	3037
11	2005	3243
12	2010	3243

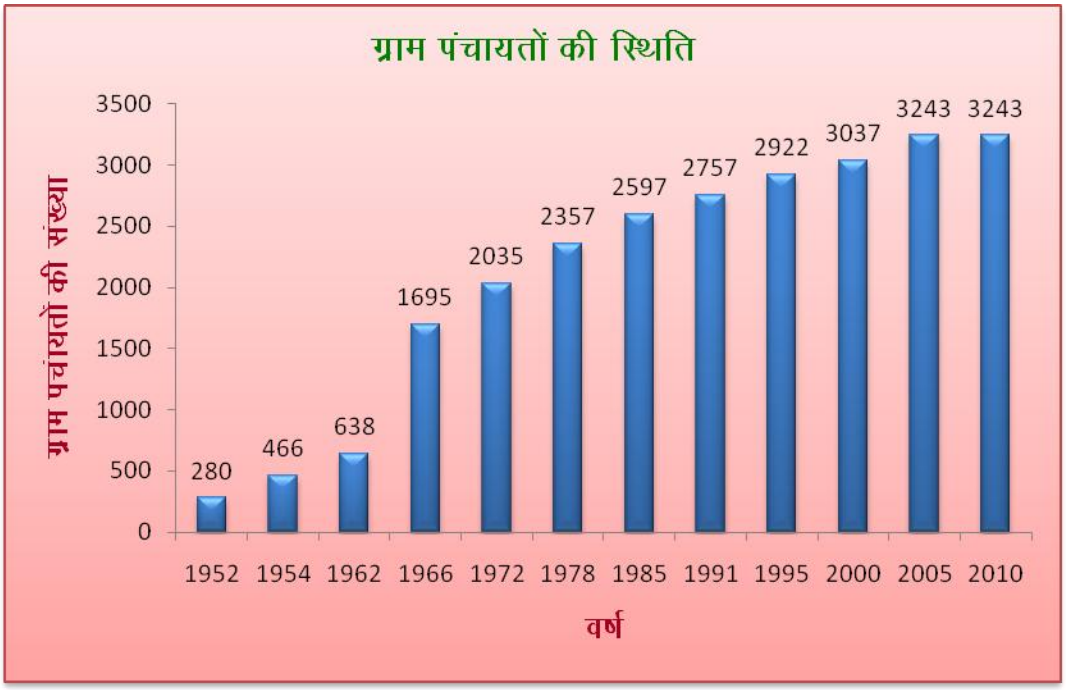

1. पंचायती राज अधिनियम को बनानाः

पंचायत से सम्बन्धित कानून को तिहतरवे संविधान संशोधन के अनुरूप बनाने के लिए पंचायती राज अधिनियम, 1994 को 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया। पंचायती राज अधिनियम, 1994 निम्न विवरण अनुसार 13 बार संशोधित किया गया।

पंचायती राज अधिनियम 1994 में समय–समय पर किये गए संशोधन का विवरणः–

क0सं0	*विवरण*	*बिल संख्या*	*अधिनियम संख्या*	*अधिनियम बनाने या लागू होने की तिथि*	*संशोधित धाराएं*
1.	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम,1997	1997 का बिल संख्या 3	1997 का अधिनियम संख्या 10	**16.1.1997**	**3, 77, 88, 124, 167**
2.	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997	1997 का बिल संख्या 17	1998 का अधिनियम संख्या 1	**24.5.2004**	अतिरिक्त अध्याय **VI-A**(धारा 97– **A** से 97–1)
3.	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000	2000 का बिल संख्या 12	2000 का अधिनियम संख्या 18	**8.6.2000**	**2, 8, 15, 22, 78, 79, 80, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 101, 114,** अतिरिक्त अध्याय **12-A** व **121-B, 122, 145,** अतिरिक्त अध्याय **x-A** व धारा **160-A** से**160-E** व **163-A, 179, 180, 181, 182, 200.**
4.	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000	2000 का बिल संख्या 20	2001 का अधिनियम संख्या 4	**15.12.2000**	**2, 5,** धारा **7-A, 13, 110, 131, 138, 184, 185.** का सन्निवेश

5.	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001	2001 का बिल संख्या 14	2001 का अधिनियम संख्या 22	19.10.2001	8, 11, 23, 78, 118, 161, 174, 175, व 175-A & 175-B, का सन्निवेश 181, तथा अनुसूची 1 का प्रतिस्थापन
6.	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2002	2002 का बिल संख्या 5	2002 का अधिनियम संख्या 10	8.5.2002	3, 71, 122, 140, 145.
7.	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005	2005 का बिल संख्या 10	2005 का अधिनियम संख्या 17	30.5.2005	धारा 5 A का सन्निवेश,धारा 7, 8, 9, 15, 23, 78, 89, 99, 122,129, 145, 146, 153 to 155 का संशोधन
8.	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2006	2006 का बिल संख्या 15	2006 का अधिनियम संख्या 20	12.10.2006	धारा 2 का संशोधन तथा धारा 11-A.सन्निवेश
9.	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2007	2007 का बिल संख्या 11	2007 का अधिनियम संख्या 15	22.09.2007	धारा 185 का संशोधन
10.	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008	2008 का बिल संख्या 9	2008 का अधिनियम संख्या 10	13. 6.2008	धारा 2, 8, 78, 89,99, 125, व 129 का संशोधन
11.	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2008	2008 का बिल संख्या 116	2008 का अधिनियम संख्या 17	7.10.2008	धारा 2, 145, 163 व 181 का संशोधन
12	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010	2010 का बिल संख्या 7	2010 का अधिनियम संख्या 15	15.6.2010	धारा 2, 4, 5, 7, 7-A 115, 118, 138 व 144, का संशोधन तथा धारा 181 का प्रतिस्थापन
13	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010	2010 का बिल संख्या 40	2010 का अधिनियम संख्या 9	28.1.2011	धारा 98 व 122 का संशोधन तथा धारा 100 व 118 का प्रतिस्थापन

2. त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना एवं निर्वाचनः

संवैधानिक प्रावधान तथा पंचायती राज अधिनियम की आवश्यकता के अनुरुप प्रदेश में तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली वर्ष 1995–96 में अपनाई गई।

- पंचायती राज संस्थाओं के पहले आम चुनाव सिवाए विकास खण्ड लाहौल तथा पांगी दिसम्बर, 1995 में सम्पन्न हुए। पंचायतों ने 23 जनवरी, 1996 को कार्य प्रारम्भ किया तथा पचांयतों का पांच साल का कार्यकाल 22 जनवरी, 2001 को समाप्त हुआ। विकास खण्ड लाहौल तथा पांगी में प्रथम आम चुनाव मई 1996 में सम्पन्न करवाए गए थे।
- दूसरा आम चुनाव सिवाए विकास खण्ड लाहौल तथा पांगी दिसम्बर, 2000 में हुए तथा वर्तमान में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा 23 जनवरी, 2001 से कार्य प्रारम्भ किया गया पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल

22 जनवरी, 2006 को समाप्त हुआ। विकास खण्ड लाहौल तथा पांगी में प्रथम आम चुनाव मई 2001 में सम्पन्न करवाए गए थे।

- तीसरे आम चुनाव 48 ग्राम पंचायतों को छोड़कर अर्थात् जिला लाहौल स्पिति के विकास खण्ड लाहौल की 28 ग्राम पंचायतों, जिला चम्बा के उपमण्डल पांगी तथा जिला परिषद लाहौल स्पिति के चुनाव दिसम्बर, 2005 में सम्पन्न हुए थे। पंचायतों का पांच वर्ष का कार्यकाल 22 जनवरी, 2011 को समाप्त हुआ।
- चौथे आम चुनाव 48 ग्राम पंचायतों को छोड़कर अर्थात् जिला लाहौल–स्पिति के विकास खंड लाहौल की 28 ग्राम पंचायतें, जिला चम्बा के उप मण्डल पांगी की 16 ग्राम पचांयतें व जिला कुल्लू की 4 ग्राम पंचायतें 2 पंचायत समिति, लाहौल व पांगी तथा जिला परिषद् लाहौल स्पिति, 28.12.2010, 30.12.2010 तथा 1 जनवरी, 2011 को सम्पन्न करवाये गये। वर्तमान में निर्वाचित पदाधिकारियों ने 23 जनवरी, 2011 को कार्य आरम्भ किया 144 ग्राम पंचायतों, 2 पंचायत समितियों तथा 1 जिला परिषद् के चुनाव जून 2011 को होंगे जब कि कुल्लू जिले की 4 ग्राम पंचायतों के चुनाव फरवरी, 2012 में करवाये जाएंगे।

3. पंचायती राज विभिन्न अधिनियम तथा नियमों का विवरणः

पंचायती राज संस्थाओं को राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित निम्नलिखित पंचायती राज अधिनियम तथा नियमों द्वारा संचालित किया जाता हैः–

1. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994
2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994
3. राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्ते) नियम, 1994
4. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997

5. हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002
6. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (ग्राम पंचायतों के पंचायत सहायक की नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियम, 2008
7. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद में कनिष्ठ आशुलिपिक की नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियम, 2009.
8. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2011

4. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आरक्षण:

संवैधानिक प्रावधान के दृष्टिगत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर सदस्यों तथा अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा पिछड़ा वर्ग के लिए ग्राम पंचायतों के प्रधान, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यो ंके लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार)अधिनियम, 1996 जिसे पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97–डी के प्रावधान अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर पर अध्यक्ष के पदों को अनुसूचित (जनजाति क्षेत्र) अनुसूचित जाति को आरक्षित किया गया है।

वर्तमान कार्यकाल में पचांयतों में आरक्षण का विवरण निम्न है:

राज्य का नाम	कुल पद	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद		अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद		पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद		सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित पद	महिलाओं के लिए आरक्षित		आरक्षण का प्रतिशत		
		सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला		योग	प्रतिशत	अ. जा	अ. ज. जा	पिछड़ा वर्ग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
प्रधान ग्राम पंचायत													
हि0 प्र0	3243	390	421	97	104	109	127	987	1639	50.54	25.01	6.20	7.28
सदस्य ग्राम पंचायत													
हि0 प्र0	19413	1587	3412	394	622	0	0	7283	11317	58.30	25.75	5.23	0.00
अध्यक्ष पंचायत समिति													
हि0 प्र0	77	5	13	3	4	1	5	20	42	54.55	23.38	9.09	7.79
सदस्य पंचायत समिति													
हि0 प्र0	1682	192	226	47	56	48	67	514	863	51.31	24.85	6.12	6.84
अध्यक्ष जिला परिषद													
हि0 प्र0	12	1	2	1	1	0	1	2	6	50.00	25.00	16.67	8.33
सदस्य जिला परिषद													
हि0 प्र0	251	28	34	8	11	8	10	73	128	51.00	24.70	7.57	7.17

अनआरक्षित पदों पर चुनी गई महिलाओं की संख्या का विवरण				
ग्राम पंचायत की स्थिति में				
क्र0सं0	राज्य का नाम	अनारक्षित पदों पर चुनी गई महिलाओं की संख्या		
		प्रधान	उप–प्रधान	सदस्य
1	हिमाचल प्रदेश	32	20	352

अनआरक्षित पदों पर चुनी गई महिलाओं की संख्या का विवरण				
पंचायत समिति की स्थिति में				
क्र0सं0	राज्य का नाम	अनारक्षित पदों पर चुनी गई महिलाओं की संख्या		
		अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य
1	हिमाचल प्रदेश	3	11	25

अनआरक्षित पदों पर चुनी गई महिलाओं की संख्या का विवरण				
जिला परिषद की स्थिति में				
क्र0सं0	राज्य का नाम	अनारक्षित पदों पर चुनी गई महिलाओं की संख्या		
		अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य
1	हिमाचल प्रदेश	2	2	4

कुल योगः **37** **33** **381** **451**

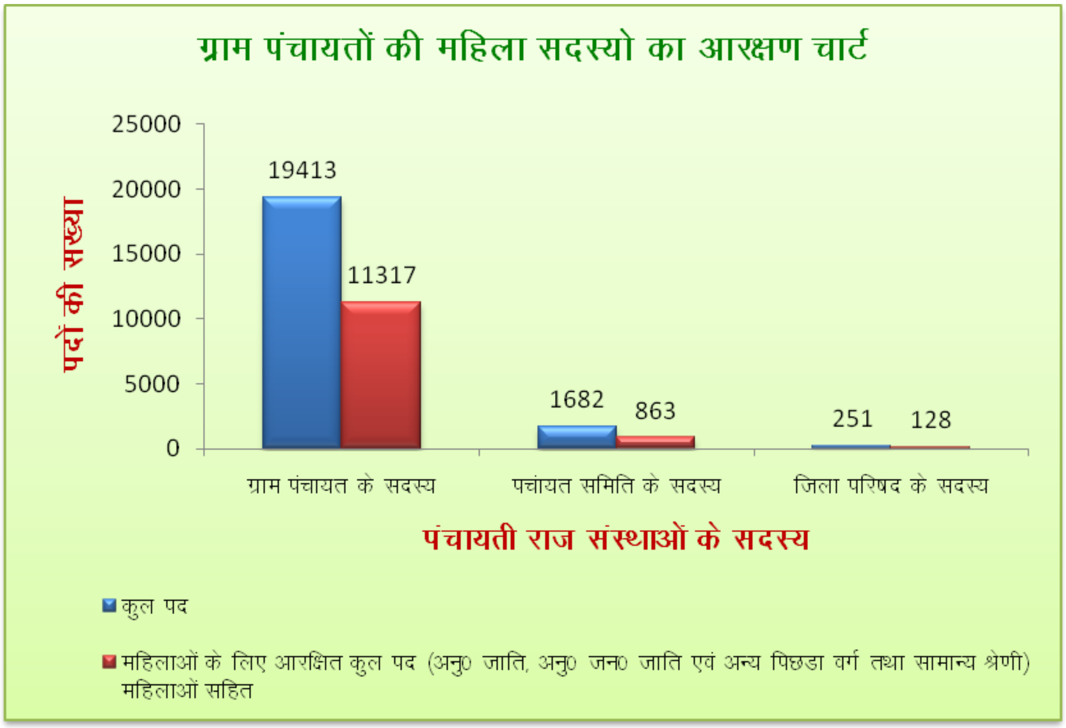
ग्राम पंचायतों की महिला सदस्यो का आरक्षण चार्ट
पदों की सख्या
25000
20000
15000
10000
5000
0
19413
11317
1682
863
251
128
ग्राम पंचायत के सदस्य
पचांयत समिति के सदस्य
जिला परिषद के सदस्य
पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य
कुल पद
महिलाओं के लिए आरक्षित कुल पद (अनु0 जाति, अनु0 जन0 जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग तथा सामान्य श्रेणी) महिलाओं सहित

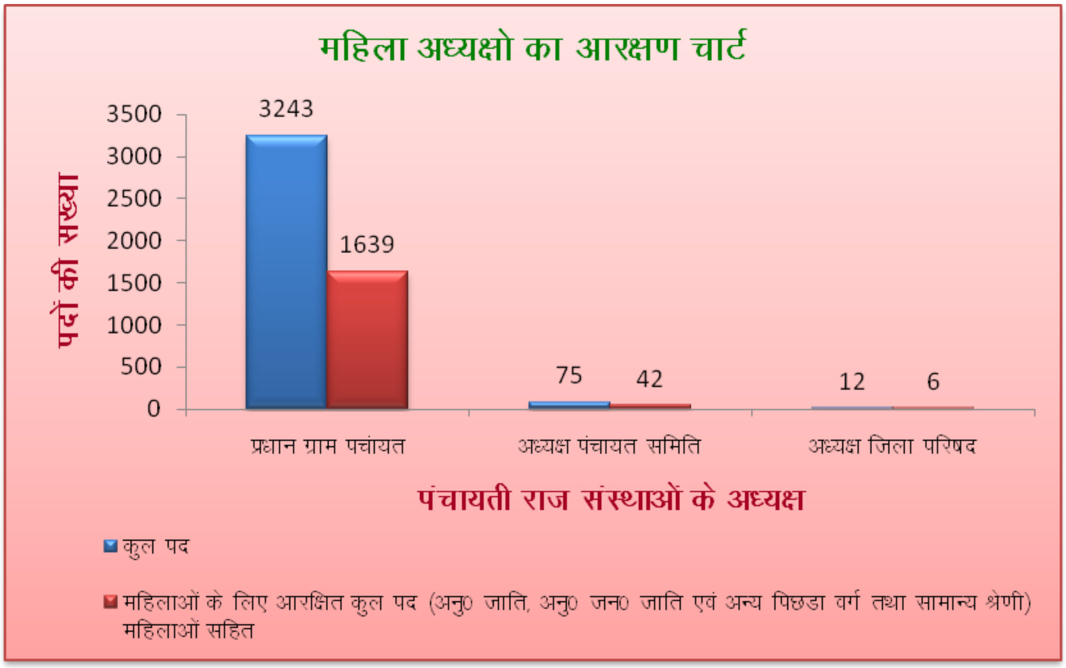
महिला अध्यक्षो का आरक्षण चार्ट
पदों की सख्या
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
3243
1639
75
42
12
6
प्रधान ग्राम पचांयत
अध्यक्ष पंचायत समिति
अध्यक्ष जिला परिषद
पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष
कुल पद
महिलाओं के लिए आरक्षित कुल पद (अनु0 जाति, अनु0 जन0 जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग तथा सामान्य श्रेणी) महिलाओं सहित

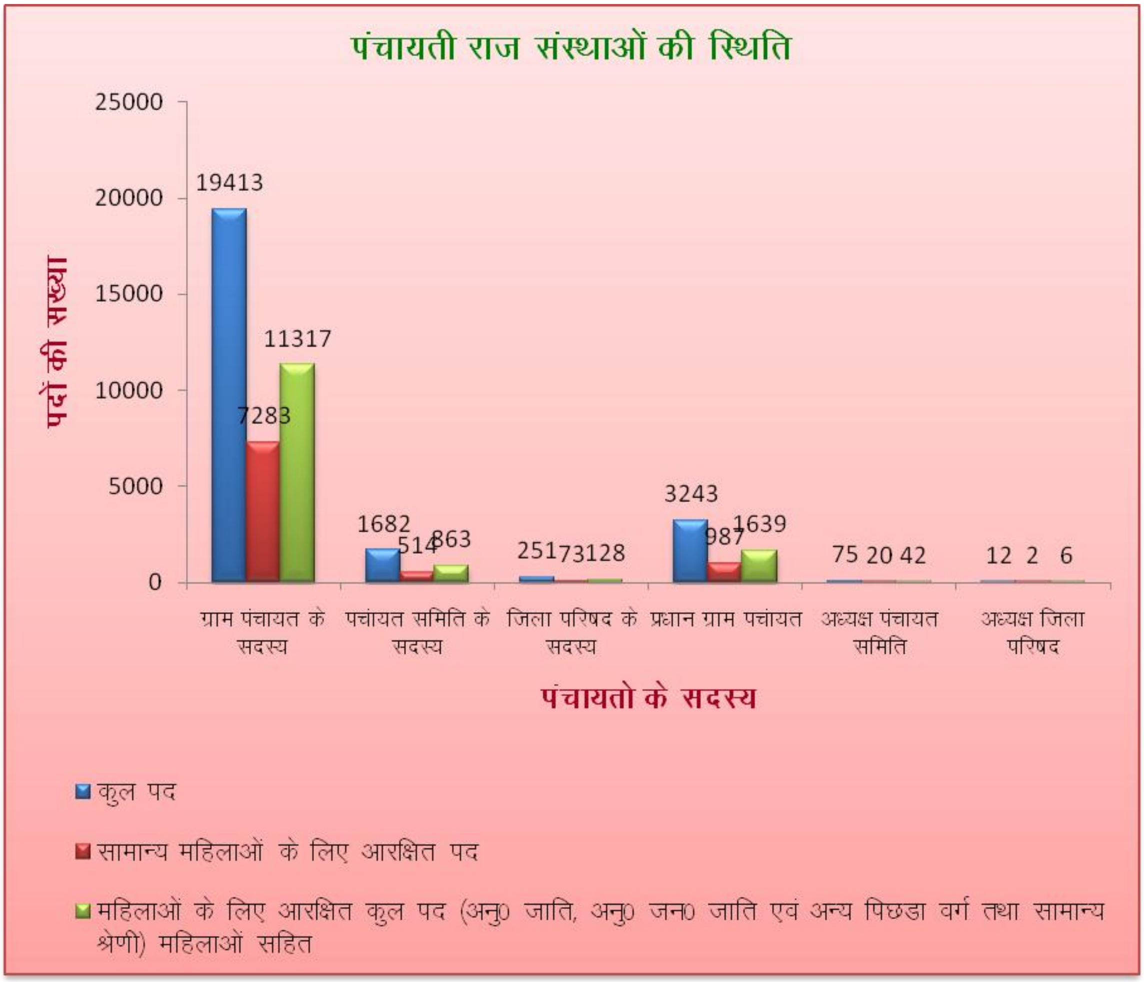

5. हिमाचल प्रदेश में पचांयती राज का ढांचाः

कः ग्राम सभा/उप ग्राम सभाः

ग्राम सभा, जो कि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की मूल ईकाई है, को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अतः राज्य सरकार ने ग्राम सभा को सुदृढ़ करने के लिए पहले ही कारगर कदम उठाए हैं। ग्राम सभा को अपने सदस्यों में से सतर्कता समिति के गठन करने की शक्तियां प्रदान की गई है जो ग्राम पंचायत द्वारा चलाए जा रहे कार्यो, योजनाओं तथा अन्य गतिविधियों का निरीक्षण करेगी। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य सतर्कता समिति के सदस्य बनने का पात्र नहीं है। यह अनिवार्य किया गया है कि ग्राम सभाएं वर्ष में चार बैठके करेगी जो उनकी विशेष बैठकों के इलावा होगी। ये बैठकें जनवरी, अप्रैल,

जुलाई और अक्तूबर के प्रथम रविवार को आयोजित होंगी। ग्राम पंचायतों के लेखों को ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखना होगा इसके अतिरिक्त अंकेक्षण आपतियां और उसके जवाब को भी ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। इस प्रकार हमारे प्रदेश में सामाजिक लेखा परीक्षा प्रणाली लागू है। विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के चयन की शक्तियां ग्राम सभा को प्रदान की गई है।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वार्ड के लिए एक उप ग्राम सभा गठित होगी। वार्ड में रहने वाले सभी ग्राम सभा सदस्य उप ग्राम सभा के सदस्य होंगे। प्रत्येक वर्ष उप ग्राम सभा की दो बैठके होगी। उप ग्राम सभा की बैठकों को बुलाने तथा इसकी अध्यक्षता करने तथा कार्यवाही लिखने का दायित्व सम्बन्धित वार्ड सदस्य का होगा। उप ग्राम सभा स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करके ग्राम सभा तथा ग्राम पचांयत को सिफारिशें करेगी। यह ग्राम सभा की बैठक के लिए सदस्यों को मनोनीत करेगी सदस्यों को इस प्रकार मनोनीत किया जाएगा कि वार्ड क्षेत्र में रहने वाले 50 प्रतिशत परिवार मनोनीत हो जिसमें से आधी महिलाएं मनोनीत होंगी परन्तु यह मनोनयन उप ग्राम सभा के किसी सदस्य को ग्राम सभा की साधारण बैठक में भाग लेने हेतू वर्जित नहीं करता है ग्राम सभा बैठक की कार्यसूची ग्राम सभा सदस्यों को बैठक की सूचना के साथ भेजी जाएगी। कृषि, पशुपालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यान, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य, राजस्व तथा कल्याण विभाग के ग्राम सभा क्षेत्र में कार्यरत ग्राम स्तर के कर्मचारी ग्राम सभा की बैठक में भाग लेगें, यदि ग्राम स्तर के कर्मचारी बैठक में भाग नहीं लेते तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से इस मामले को उनके नियंत्रण अधिकारी के ध्यान में लाएगी जो एक महीने के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा तथा की गई कार्यवाही बारे ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के माध्यम से अवगत करवायेगा। इसके

अतिरिक्त ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत को योजना, परियोजना तथा कार्यक्रम पर व्यय की गई राशियों के उपयोग हेतू अधिकृत किया जाएगा।

खः ग्राम पंचायतः

हमारे प्रदेश में एक गांव या गांवों के समूह, जिसकी जनसंख्या 1000 से लेकर 5000 तक हो, के लिए ग्राम पंचायत गठित की जाती है। अनुसूचित क्षेत्रों और अन्य दूर दराज के क्षेत्रों में एक हजार से कम जनसंख्या पर भी ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। जो प्रधान तथा उप–प्रधान को छोड़कर 5 से 13 तक हो सकती है। प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों का निर्वाचन लोगों द्वारा सीधे मतदान से किया जाता है। पंचायत समिति का सदस्य जो ग्राम सभा क्षेत्र के पूरे अथवा किसी भाग का प्रतिनिधित्व करता है वह भी ग्राम पंचायत का सदस्य होगा तथा उसे वोट देने का अधिकार होगा।

गः पंचायत समितिः

तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली मध्य स्तरीय संस्था को प्रदेश में पचांयत समिति कहा जाता है। इस संस्था की सीमाएं विकास खण्ड के समानान्तर है। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है जबकि समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा आपस में से किया जाता है। प्रत्येक समिति सदस्य 3500 या उसके भाग की जनसंख्या पर निर्वाचित होता है परन्तु समिति सदस्यों की कम से कम संख्या 15 होगी। पंचायत समिति का अलग से अपना कोई कार्यालय नहीं है और खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय ही समिति के कार्यालय के रूप मे कार्य करता है। खण्ड विकास अधिकारी को समिति का कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव नामांकित किया गया है। जिला परिषद् का सदस्य जो पंचायत समिति के पूरे या किसी भाग का प्रतिनिधित्व करता है वह भी पंचायत समिति का सदस्य होगा।

घः जिला परिषदः

यह पंचायती राज प्रणाली का सबसे उपर का स्तर है। हमारे प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के उपरान्त नए अधिनियम के लागू होने के पश्चात पहली बार जिला परिषदों का गठन किया गया। वर्तमान में प्रदेश में 12 जिला परिषदें गठित हैं। जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता है जबकि इसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा आपस में से किया जाता है। जिला परिषद का प्रत्येक सदस्य 25000 तथा इसके भाग की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है परन्तु जिला परिषद में कम से कम सदस्यों की संख्या 10 होगी। लोक सभा सदस्य, विधान सभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य (जिस क्षेत्र में वह मतदाता के रूप में पंजीकृत है) तथा जिले में स्थित पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद के सदस्य होगें। अतिरिक्त जिलाधीश जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिला पंचायत अधिकारी इसके सचिव हैं। इसके अतिरिक्त जिला योजना अधिकारी योजना सचिव होगा।

6. जिला नियोजन समिति का गठन एवं पंचायतों के माध्यम से सहभागी योजनाः

जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा चयनित मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होगा। अधिनियम की धारा 185 के अन्तर्गत जिलाधीश सम्बन्धित जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष होगा।

राज्य सरकार के निर्णय अनुसार योजना विभाग की वर्तमान योजना संस्थाओं को सम्बन्धित जिला परिषद् के तकनीकी नियंत्रण में रख गया है ताकि जिला नियोजन समिति का ढांचा सुदृढ़ हो सके। जिला येाजना तथा योजना स्कीमों को तैयार, क्रियान्वित, अनुश्रवण तथा समीक्षा हेतू जिला योजना संस्थाएं तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। जिला स्तर की योजना संस्थाएं जिला परिषद् के योजना सचिवालय के रुप में कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया है कि जिला चम्बा व सिरमौर के पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

को जिला नियोजन समिति प्रस्तावनाओं हेतू संसाधनों को बढ़ाने हेतू उपयोग किया जाएगा।

संविधान की अनुसूची 243 (जी) अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को फण्ड तथा कर्मचारियों की सेवाओं को हस्तांत्ररित किया जाना है। पंचायतों को कार्य, फण्ड तथा कर्मचारियों की सेवाएं स्थानान्तरित न करने के कारण पंचायतें योजना बनाने तथा उसे जिला नियोजन समिति को भेजने हेतू असमर्थ है। वर्तमान में पचांयती राज संस्थाओं द्वारा दो जिलों नामतः चम्बा व सिरमौर में योजनाएं बनाई जा रही है तथा ये योजनाएं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान फण्ड हेतू बनाई गई जिला योजना समिति द्वारा संकलित तथा अनुमोदित की जा रही है। इन जिलों की योजनाएं भारत सरकार द्वारा बनाएं गए (software) नामतः (PLANPLUS) अनुसार तैयार की जा रही है। वर्तमान में पंचायतें बिना शर्त अनुदान की योजनाएं तैयार कर रहीं है तथा ये योजनाएं ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित की जाती है।

पंचायतों का तीसरा कार्यकाल 22 जनवरी, 2011 को समाप्त हुआ तथा चौथे आम चुनाव दिसम्बर, 2010 तथा जनवरी, 2011 में करवाये गये तथा वर्तमान पंचायतों ने 23 जनवरी 2011 को कार्य करना प्रारम्भ किया।

संविधान की अनुसूची 243 (जेड डी) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 185 के प्रावधान अनुसार राज्य सरकार द्वारा 12 जिलों के जिला नियोजन समिति के सदस्यों का निर्धारण दिनांक 29 मार्च 2011 को जारी अधिसूचना जो सरकारी राजपत्र में 1 अप्रैल 2011 को प्रकाशित हुई, द्वारा किया गया जिसमें केबिनेट मंत्री, मंत्री, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को सदस्य एवं अध्यक्ष के रुप में शामिल किया गया (अधिसूचना की प्रति सरकारी बेबसाइट (***hppanchayat.nic.in.***) पर उपलब्ध है।

7. अनुसूचित क्षेत्र में PESA प्रावधानः

प्रदेश के अनुसूचित (जन जातीय) क्षेत्रों में पंचायतों की स्थितिः—

- जिला किन्नौर व लाहौल स्पिति का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा चम्बा जिला के दो विकास खण्ड नामतः पांगी व भरमौर अनुसूची—V के क्षेत्र के अन्तर्गत आते है।
- राज्य में अनुसूची – V के क्षेत्र में दो जिला परिषद नामतः किन्नौर व लाहौल स्पिति तथा जिला चम्बा की जिला परिषद का एक भाग, 7 पचांयत समितियां नामतः कल्पा, निचार, पूह, लाहौल, स्पिति, भरमौर एवं पांगी तथा 151 ग्राम पंचायतें गठित की गई हैः—

किन्नौर	**65**
1. कल्पा	23
2. निचार	18
3. पूह	24
लाहौल स्पिति	**41**
1. लाहौल	28
2. स्पिति	13
चम्बा	**45**
1. भरमौर	29
2. पांगी	16

- वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य के अनुसूचित— V क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1,66,402 है तथा कुल 1423 गांव है जिसमें से 688 रहने योग्य है तथा शेष 735 गांव रहने योग्य नहीं है।

- अनुसूची– v क्षेत्र में ग्राम सभा की औसत जनसंख्या 1102 है यदि प्रत्येक गांव की एक ग्राम सभा गठित की जाती है तो 537 ग्राम सभाओं को गठित करने की आवश्यकता होगी। उस स्थिति में ग्राम सभा की औसत जनसंख्या 241 होगी तथा पंचायत के वार्ड को औसतन 40 से 50 तक की जनसंख्या में परिसीमित करना होगा जिसमें से मतदाताओं की संख्या 25 से 35 तक होगी।
- PESA के प्रावधान के अनुसार अनुसूची– v के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति से सम्बद्ध व्यक्तियों को सदस्यों के पदों पर आरक्षित किया जा रहा है।
- राज्य सरकार ने अनुसूची – v क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय व्यक्तियों के लिए पंचात के तीनों स्तर पर अध्यक्ष के पदों पर 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है और कुल पदों में से एक तिहाई पदों को जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को आरक्षित किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की मांग प्राप्त हुई जो अध्यक्ष के पदों हेतू 15 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक है जो अन्यथा केन्द्रीय अधिनियम से 40 की धारा 4(जी) के अन्तर्गत वर्जित है। राज्य में यह समस्या विशेष रूप से जिला किन्नौर में आई क्योंकि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अन्दर अनुसूचित जाति, जनसंख्या रहती है जनसंख्या का यह अंश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की हैसियत का लाभ उठा रहा है।
- PESA के अन्तर्गत नियमों की अधिसूचना राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) नियम, 2011 अधिसूचना संख्याःपीसीएच–एचए(1)4/2006–111 दिनांक 26 मार्च, 2011 अनुसार तैयार किया गया जिसे 1 अप्रैल, 2011 के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया। उक्त नियम को विभाग की बेबसाईट ***hppanchayat.nic.in.*** पर देखा जा सकता है।

अध्याय–2

विभाग का प्रमुख कार्यः

विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों का गठन तथा ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुर्नगठन का कार्य किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गये कार्यो के निरीक्षण के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं को दिये गये अनुदान, ऋण व व्यय पर वित्तीय नियन्त्रण रखता है। पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं को हल करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। विभाग यह भी सुनिश्चित करता है कि अधिनियम व नियम के प्रावधानों का पालन किया जाए तथा विभाग निर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है ।

अध्याय–3

पंचायती राज विभाग का प्रशासनिक ढांचाः

यह विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री के अधीन है तथा राज्य स्तर पर सचिव (पंचायत) इसके प्रमुख हैं, जिनके सहायतार्थ निदेशक और उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त हैं। विभाग में राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों का विवरण 31–3–2011 को निम्न अनुसार हैः–

श्रेणी	**पद का नाम**	**सृजित पद**	**भरे गए पद**	**रिक्त पद**
राजपत्रित (श्रेणी–i)	1 निदेशक (आई0ए0एस0)	1	1	.
	2 संयुक्त/अतिरिक्त निदेशक हि0प्र0	1	1	.
	3 उप–निदेशक, पंचायती राज	1	1	.
	4 उप–नियन्त्रक	1	1	.
	5 अधीक्षक ग्रेड–1	1	1	.
	6 निजी सचिव, विभागाध्यक्ष	1	.	1
	7 जिला पंचायत अधिकारी	12	12	.
	8 प्राचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान।	2	1	1
राजपत्रित (श्रेणी– ii)	1. विधि अधिकारी	1	1	.

अराजपत्रित (श्रेणी– ii)	1 अधीक्षक ग्रेड–11	13	11	2
	2 सम्पादक	1	1	.
	3 जिला अंकेक्षण अधिकारी / प्रशिक्षक	19	12	7
	4 निजी सहायक	1	1	.
अराजपत्रित (श्रेणी– iii)	1 वरिष्ठ सहायक	22	22	.
	2 कनिष्ठ आशुलिपिक	2	1	1
	3 पंचायत निरीक्षक	75	72	3
	4 अंकेक्षक पंचायत	88	77	11
	5 उप निरीक्षक पंचायत	75	74	1
	6 लिपिक	67	40	27
	7 चालक	20	15	5
	8 बावर्ची	1	1	.
अराजपत्रित (श्रेणी– iv)	1 यन्त्रचालक	1	1	.
	2 दफतरी	1	1	.
	3 जमादार	1	1	.
	4 चपड़ासी	60	56	4
	5 चौकीदार	11	11	.
	6 बावर्ची	1	1	.
	7 सफाईकर्ता	1	1	.
	कुल	**481**	**418**	**63**

अध्याय–4

पंचायतों के कार्य एवं शक्तियांः

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में विर्निष्ट शक्तियों तथा कार्यो :

- कुछ पदाधिकारियों, जैसे कि चपरासी, वैलिफ, पुलिस सिपाही, हवलदार, चौकीदार, सिचांई विभाग के गश्ती, वन रक्षक, पटवारी, टीका लगाने वाले, नहर निगरानी, ग्राम सेवक, आखेट रक्षक, पंचायत सचिव इत्यादि द्वारा अवचार के सम्बन्ध में जांच और रिपोर्ट करने की शक्तियां ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई हैं।
- ग्राम पंचायतों को, भारतीय दण्ड संहिता, टीका अधिनियम, 1880, पशु अतिचार अधिनियम, 1871, हिमाचल प्रदेश किशोर धूम्रपान निषेद्ध अधिनियम, 1952, सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867, तथा दण्ड प्रक्रिया संहित, की धारा 125 के अधीन भरण–पोषण के लिए आवेदन की सुनवाई की शक्ति भी प्रदान की गई है।
- ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट के अनुमोदन की शक्ति प्रदान करने के साथ–साथ ग्राम पंचायत के वार्षिक लेखों, गत वित वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट तथा गत अंकेक्षण पत्र के उतर यदि कोई हो पर विचार एवं उचित कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किये गये योजनाओां, कार्यक्रमों तथा बजट को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा यह भी अधिकृत किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा योजनाओं, परियोजनाओं तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संतुष्ट होने पर उन पर व्यय की गई राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र को जारी करें।

- ग्राम पंचायत के कार्यों, स्कीमों तथा अन्य गतिविधियों के निरीक्षण के लिए ग्राम सभा को सतर्कता समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया गया है इससे सम्बन्धित रिपोर्ट इसकी बैठक में रखी जाएगी तथा रिपोर्ट की एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी को भेजी जाएगी।
- पंचायतों को तीनों स्तरों पर विकासात्मक कार्यों को क्रियान्वित करने हेतू अधिकृत किया गया है कार्यो की तकनीकी स्वीकृति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, अंकेक्षण, संकर्म तथा कराधान एवं भत्ते) नियम, 2002 के परिशिष्ट 'घ' अनुसार तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता से ली जाएगी।
- ग्राम सभा की बैठकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष चार साधारण बैठकें होंगी जिसके लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्तूबर के पहले रविवार को पूर्व निश्चित दिवस रखा गया है।
- ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में उप ग्राम सभा गठित करने हेतु ग्राम सभा को अधिकृत किया गया है। ग्राम सभा क्षेत्र के उस वार्ड के सदस्य उप ग्राम सभा के सदस्य होंगे।
- तीनों स्तरों पर पचांयतों को स्थायी समितियां गठित करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं को, आय बढ़ाने वाली परिसम्पतियों के लिए बिना सरकार की पूर्व अनुमति के उधार लेने के लिए शक्ति प्रदान की गई है यदि परियोजना, उधार देने वाले संस्थानों द्वारा आर्थिक वितीय रूप से व्यवहार्य निर्धारित की गई हो। हालांकि ग्राम पंचायतों को उधार लेने के लिए ग्राम सभा की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।
- ग्राम पंचायतों को लोक सम्पति, जैसे कि साईन बोर्ड, सार्वजनिक सड़क पर मील पत्थरों, पथों, सिंचाई एवं आपूर्ति योजनाओं, सार्वजनिक नलों,

सार्वजनिक कुओं, पम्पों, सामुदायिक केन्द्रों, महिला मण्डल भवनों, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य/पशुपालन/आयुर्वेदिक संस्थान भवनों, के संरक्षण की शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा इस सम्बन्ध में उल्लंघन होने पर ग्राम पंचायतें 1000/– रू0 तक की शास्ति अधिरोपित कर सकती है और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो 10/– रू0 प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त शास्ति लगाने का भी प्रावधान है जो कि कुल मिला कर 5000/– रू0 तक की हो सकती है।

- ग्राम पचांयतों को कर, फीस, दण्ड तथा सेस आरोपित करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- यह अनिवार्य किया गया कि कृषि, पशुपालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यान, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, राजस्व तथा कल्याण विभाग के ग्राम स्तर के कर्मचारी ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेगें।

(ख) समय–समय पर कार्यकारी आदेशों द्वारा हस्तांतरित शक्तियां एवं कार्यः

प्रजातंत्र को तृणमूल स्तर पर सुदृढ़ करने तथा पचांयती राज संस्थाओं को स्वावलम्बी स्वशासन निकाय बनाने हेतु राज्य सरकार ने 15 विभागों नामतः कृषि, पशुपालन, आयुर्वेद, शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, वन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यान, उद्योग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण, राजस्व, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक एवं महिला कल्याण के कार्य शक्तियां एवं दायित्व 31 जुलाई, 1996 को इन संस्थाओं को सौंपे गये हैं जिसके अन्तर्गत संविधान को 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 में से 27 विषय लिये गये है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कार्यकारी आदेशों द्वारा पचांयती राज संस्थाओं को निम्न शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैः–

1 ग्राम पंचायतों द्वारा सूक्ष्म स्तरीय योजना को बनाना।

2 सार्वजनिक उपयोगिता की संस्था के स्थान चयन को निर्धारित करने की शक्तियां व ग्राम स्तर के कर्मचारियों के कार्य एवं उपस्थिति बारे रिपोर्ट करने की शक्तियां।

3 ग्राम स्तर की विभागीय समिति का पंचायती राज संस्थाओं द्वारा गठित स्थाई समितियों में एकीकरण।

4 विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।

5 पचांयती राज संस्थाओं को आयुर्वेदिक, एलोपैथिक तथा पशुपालन विभाग के डाक्टरों, स्कूल अध्यापकों, पटवारियों तथा वन रक्षकों की तैनाती स्थान पर उपस्थिति बारे रिपोर्ट करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

6 जिला परिषद के अध्यक्षों को अपनी–2 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है।

7 कांटों द्वारा मछली पकड़ने से सम्बन्धी परमिट जारी करने हेतू ग्राम पचांयतों के प्रधान या उप प्रधान को अधिकृत किया गया है तथा व्यवसायिक मछुवारों को सामान्य तथा ट्राऊट मछलियों का परमिट जारी करने हेतू पचांयत समितियों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों को अधिकृत किया गया है एवं इससे प्राप्त फीस सम्बन्धित पंचायतों के निधि का भाग होगी।

8 ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर 1/– रू0 प्रति बोतल की दर से सैस एकत्रित करके एकत्रित राशि को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरति करने का निर्णय लिया गया है और इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायतें विकासात्मक कार्यो के लिए करेंगी।

9 खनिज तथा खनन हेतु पट्टा जारी करने से पूर्व तथा खनिज पर आधारित इकाई को स्थापित करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को अनिवार्य बनाया गया है।

10 जिला परिषद को ग्रामीण विकास अभिकरण में सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों के प्रति, अनुबन्ध के आधार पर, सहायक अभियन्ता नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है।

11 पंचायत समितियों को विकास खण्ड में पंचायत सहायक कनिष्ठ लेखापाल एवं कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पदों के स्थान पर कनिष्ठ लेखापाल को नियुक्ति करने के लिए अधिकृत किया गया है।

12 ग्राम स्तर पर कार्यरत कर्मचारी अर्थात् पचांयत चौकीदार, पंचायत सहायक, सिलाई अध्यापिका इत्यादि की नियुक्ति का अधिकार ग्राम पचांयतों को सौंपा गया है।

13 प्राथमिक पाठशाला भवनों के स्वामित्व तथा इनके रख–रखाव तथा मुरम्मत की जिम्मेवारी भी ग्राम पचांयतों को सौपी गई है।

14 जिला परिषद को जिला स्तर पर तथा पंचायत समिति को खण्ड स्तर पर राजस्व सम्बन्धी कार्यो के निरीक्षण, भूमिहीन तथा आवासहीन व्यक्तियों की पहचान में सहायता करने, सरकारी भूमि के लिए नीति निर्धारित करने एवं ऐसी भूमि के बारे अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे प्राधिकृत किया गया है।

15 खनिज पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने तथा किसी क्षेत्र को लीज पर देने से पूर्व ग्राम सभा का प्रस्ताव अनिवार्य है। ग्राम पंचायत को व्यक्तिगत प्रयोग हेतू रेत, पत्थर, बजरी तथा स्लेटों के खनन के परमिट जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।

16 हिमाचल प्रदेश वन उत्पाद पारगमन (Land routs) नियम 1978 के नियम 11 के उद्धेश्य की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत के प्रधानों को वन अधिकारी नियुक्त किया गया है जो उन 37 मदों में से वन से एकत्रित लघु उत्पाद के पारगमन हेतु पास जारी करेंगे।

ग्राम पंचायत के वित्तीय संसाधनः

1. सरकार से अनुदान
2. गृह कर
3. रेत, पत्थर, बजरी तथा स्लेट को निकालने तथा बाहर भेजने हेतु कर
4. ग्रामीण क्षेत्र में शराब की बिक्री पर उपकर (1 रूपया प्रति बोतल)
5. भू–राजस्व
6. 1 प्रतिशत फुटकर व्यय
7. व्याज से आय
8. दुकानदारों से तहबाजारी
9. सेवा शुल्क
10. अपनी परिसम्पति जैसे दुकान एवं बागीचे से आय
11. मत्स्य आरबेट (फिशिंग) हेतु लाइसेंस फीस
12. लघु वन उपज हेतु परमिट फीस
13. मोबाइल सेवा प्रदाता पर शुल्क

(ग) ग्राम पंचायतों द्वारा करों को अधिरोपित करनाः–

वर्तमान में जिला परिषद और पंचायत समिति कर, फीस आदि अधिरोपित नहीं कर रही है। परन्तु ग्राम पंचायत प्रस्ताव पास करके तथा पूर्व प्रकाशन द्वारा करों को अधिरोपित कर सकती है।

(i) सम्पति करः

ग्राम पंचायत ग्राम सभा क्षेत्र में प्रस्ताव पास करके तथा पूर्व प्रकाशन द्वारा ऐसी दरों तथा ऐसी रीति जैसा वह ठीक समझे आवासीय एवं व्यापारिक भवनों पर सम्पति कर लगा सकती है।

(ii) व्यवसाय करः

सरकार के पूर्व अनुमोदन से ग्राम पंचायत ग्राम सभा में कृषि को छोड़कर व्यक्ति के पेशे, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर व्यवसाय कर लगा सकती है। बशर्ते कि सभा क्षेत्र में किसी अन्य क्षेत्रीय शासन द्वारा किसी कानून के अधीन ऐसा कर न लगाया गया हो।

(iii) सम्पति के हस्तांतरण पर शुल्कः

यदि सरकार द्वारा ऐसा प्राधिकार दिया गया हो, तो सभा क्षेत्र में स्थित स्थावर सम्पति के विक्रय दान और कब्जा सहित बन्धक की लिखतों पर हिमाचल प्रदेश में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 क2) द्वारा अधिरोपित शुल्क पर, अधिभार के रुप में, सम्पति के अंतरण पर सरकार द्वारा नियत ऐसी दर, पर शुल्क जो यथास्थिति प्रतिफल राशि सम्पति के मूल्य या बन्धक द्वारा, प्रतिभूत राशि जो लिखित रुप में उपवर्जित है, दो प्रतिशत से अधिक न हो ग्राम पंचायत लगा सकती है।

(iv) फीसः

ग्राम पंचायत, संकल्प के माध्यम से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, सभा क्षेत्र में निम्नलिखित फीस, ऐसी दर पर और ऐसी रीति में, जैसी वह उचित समझे, उद्गृहित कर सकेगी।

(क) मेलों में दुकानदारों से तहबाजारी

(ख) यथास्थिति, गलियों की सफाई, गलियों में प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता ठोस एवं द्रव्य अपशिष्ट प्रबन्धन वाहनों की पार्किंग के लिए सेवा फीस

(ग) सभा क्षेत्र में पशुओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस और

(घ) पानी की दर, जहां पानी की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है

(v) भू–राजस्वः

ग्राम पंचायतों का भूमि मालिकों/हिस्सेदारों से भू–राजस्व एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है ग्राम पंचायत एकत्रित किये गये राजस्व को अपने स्तर पर उपयोग करेगी।

(vi) शराब शुल्कः

एक रुपये प्रति बोतल की दर से, ग्रामीण क्षेत्र में बेचे गये शराब पर शुल्क का एकत्रित करके ग्राम पंचायत का विकासात्मक कार्य करने के लिए स्थानान्तरित किया जाएगा।

(घ) मोबाईल संचार सेवा प्रदान कर्ता पर शुल्कः

सरकार की अधिसूचना दिनांक 9 नवम्बर 2006 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को मोबाईल सेवा प्रदान कर्ता पर शुल्क आरोपित करने हेतू अधिकृत किया गया है। मोबाईल टावर पर 4000/– रू0 प्रति टावर की दर से लगाने की फीस तथा 2000/– रू0 प्रति वर्ष नवीनीकरण फीस निम्न शर्तो अनुसार होगीः–

1. नवीनीरकण राशि की अदायगी एक मुशत में करने का विकल्प (सम्पूर्ण राशि की अदायगी पर 40 प्रतिशत छूट जिसमें पांच वर्ष की नवीनीकरण राशि भी सम्मिलित है)।
2. प्रत्येक 5 वर्ष उपरान्त नवीनीकरण फीस में 25 प्रतिशत बढौतरी होगी।
3. एक ही टावर में प्रत्येक अतिरिक्त एन्टिना के लिए 60 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त राशि आरोपित की जाएगी।

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों को मानदेयः–

भारत में हिमाचल प्रदेश शायद पहला राज्य है जहां पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को मासिक मानदेय प्रदान किया जा रहा है। निर्वाचित पदाधिकारियों के मानदेय का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	निर्वाचित पदाधिकारियों का विवरण	मानदेय
1	अध्यक्ष जिला परिषद	3500
2	उपाध्यक्ष जिला परिषद	2500
3	सदस्य जिला परिषद	1500
4	अध्यक्ष पंचायत समिति	1800
5	उपाध्यक्ष पचांयत समिति	1500
6	सदस्य पंचायत समिति	1200
7	प्रधान ग्राम पंचायत	1200
8	उप प्रधान ग्राम पंचायत	1000
9	सदस्य ग्राम पंचायत	मास में अधिकतम दो बैठकों के लिए 150/— रू0 प्रति बैठक की दर से मानदेय प्रदान किया जाता है।

अधिसूचना संख्या पीसीएच—एचए (3)20/95 दिनांक 21.8.2006 के अनुसार पंचायत पदाधिकारियों को निम्न दरों पर दैनिक भत्ते प्रदान किए जाएंगें:—

1. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जिला परिषद	80/—
2. सदस्य जिला परिषद तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पंचायत समिति	60/—
3. पंचायत समिति सदस्य, प्रधान तथा उप प्रधान ग्राम पचांयत	50/—
4. सदस्य ग्राम पंचायत	30/—

यात्रा तथा दैनिक भत्तों पर किये गए व्यय का वहन सम्बन्धित पचांयत द्वारा किया जाएगा।

पंचायती राज पदाधिकारियों की मानदेय अदायगी पर वार्षिक व्ययः—

राशि लाखों में

क्र0सं0	विवरण	कुल पद	कुल व्यय
1	अध्यक्ष जिला परिषद	12	5.04
2	उपाध्यक्ष जिला परिषद	12	3.60
3	सदस्य जिला परिषद	227	40.86
4	अध्यक्ष पंचायत समिति	77	16.63
5	उपाध्यक्ष पचांयत समिति	77	13.86
6	सदस्य पंचायत समिति	1528	220.03
7	प्रधान ग्राम पंचायत	3243	466.99
8	उप प्रधान ग्राम पंचायत	3243	389.16
9	सदस्य ग्राम पंचायत	19413	698.86
	कुल	**27832**	**1855.03**

पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में जवाबदेही तथा पारदर्शिताः

प्राथमिक स्तर की प्रजातांत्रिक संस्थाओं को अधिक उत्तरदायी, जवाबदेह और इन संस्थाओं के दैनिक कार्यो में पारदर्शिता इत्यादि लाने के उद्वेश्य से सूचना की पहुंच, प्रचार, जबाब देही तथा लोक कार्य को तत्काल निपटाने इत्यादि के अनुदेश जारी किए गए है। यह निर्णय लिया गया है कि पंचायत का प्रत्येक मतदाता पचांयत के रिकार्ड का निरीक्षण कर सकता है और उसकी प्रतिलिपियां भी नाममात्र शुल्क अदा करके प्राप्त कर सकता है। स्थाई तथा अस्थाई सूचनाएं, लाभार्थियों की सूची, योजनाओं का विवरण, स्वीकृत धनराशि सहित, पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव की उपस्थिति का सत्यापन सम्बन्धित पचांयत के प्रधान द्वारा किया जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं में तकनीकी कर्मचारी वर्गः

पंचायतों द्वारा विकास कार्यों को क्रियान्वित करने तथा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु खण्ड स्तर पर तकनीकी सहायक का पैनल तैयार किया जाएगा तथा खण्ड स्तर पर प्रत्येक दो ग्राम पंचायतों के लिए एक तकनीकी सहायक होगा। ग्राम पंचायतें पैनल में से किसी तकनीकी सहायक की सेवाएं प्रत्येक कार्य के लिए प्राप्त कर सकती है। तकनीकी सहायक को प्रत्येक कार्य की कुल लागत का 2 प्रतिशत सेवा शुल्क मु0 50000/– रू0 के कार्य के लिए तथा 1.5 प्रतिशत 1.50 लाख रू0 तक के कार्य के लिए अदा किया जाएगा। वर्तमान में 1069 तकनीकी सहायक ग्राम पंचायत में कार्य कर रहे है। पचांयत समिति व जिला परिषद को क्रमशः कनिष्ठ अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता को अनुबन्ध पर नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया है जिसका चयन, समिति द्वारा अनुमोदित मानदण्ड के आधार पर किया जाता है। कनिष्ठ अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता को क्रमशः 14100/– प्रतिमास (अर्थात् ग्रेड वेतन+वेतन बैड) तथा सहायक अभियन्ता को 21000/– प्रतिमास (वेतन+वेतन बैड) मासिक पारिश्रामिक सम्बन्धित पचांयत द्वारा दिया जाता है। उपरोक्त तकनीकी कर्मचारी वर्ग को सम्बन्धित पंचायत के नियन्त्रण में रखा जाता है। नियुक्त किये गये कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से है। 38 कनिष्ठ अभियंताओं को 10300–34800+3800=14590/– के वेतनमान में जिला परिषद में नियमित किया गया है।

क्र0 सं0	जिले का नाम	सहायक अभियन्ता के स्वीकृत पद	कनिष्ठ अभियन्ता के स्वीकृत पद
1	शिमला	1	25
2	सोलन	-	10
3	सिरमौर	-	15

4	किन्नौर	2	5
5	कुल्लू	-	12
6	लाहौल स्पिति	1	4
7	मण्डी	-	27
8	चम्बा	-	19
9	कांगडा	-	37
10	हमीरपुर	-	11
11	बिलासपुर	-	8
12	ऊना	-	14
	कुल	**4**	**187**

पंचायती राज संस्थाओं का प्रशासनिक कर्मचारी वर्गः

वर्तमान में 786 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव नियुक्त हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं 1071 ग्राम पंचायतों को पचांयत सहायकों को अनुबन्ध पर नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया है तथा उनकी सेंवाओं को सम्बन्धित पंचायत समिति के अधीन रखा गया है। पंचायत सहायकों को मु0 5910/– रू0 मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है। पंचायत सहायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा नियमानुसार प्रशिक्षण के अन्त में परीक्षा देनी होगी। इसके अतिरिक्त 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले 1092 पंचायत सहायकों का पद नाम पंचायत सचिव (अनुबंध पर) किया गया है तथा उन्हें मु0 7810/– मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को सिलाई अध्यापिका की अनुबन्ध पर नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया है। इन्हें 1400 रूपये प्रति मास पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पचांयत चौकीदार नियुक्त किया गया है जिसे 1000 रूपये प्रति

मास पारिश्रमिक दिया जाता है। पारिश्रमिक के भुगतान की राशि के व्यय को राज्य सरकार तथा सम्बन्धित पचांयत द्वारा 90:10 के अनुपात में वहन किया जाता है।

12 कनिष्ठ आशुलिपिक, जिला परिषद में मु0 8710 रु0 प्रतिमास पारिश्रमिक अनुबन्ध पर नियुक्त किये गये है। 10 कनिष्ठ लेखापाल को मु0 7810/—रु0 प्रति मास के पारिश्रमिक पर अनुबन्ध पर नियुक्त किये गये है।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अनुवन्ध के आधार पर नियुक्त किये गए कर्मचारियों का पारिश्रमिक पर वार्षिक व्यय:

पद	शिमला	सोलन	सिरमौर	किन्नौर	कुल्लू	लाहौल स्पिति	मण्डी	चम्बा	कांगड़ा	हमीरपुर	बिलासपुर	ऊना
कनिष्ठ अभियन्ता	25	10	15	5	12	4	27	19	37	11	8	14
सहायक अभियन्ता	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
सिलाई अध्यापिका	310	192	213	60	177	39	374	259	698	204	126	213
पंचायत सहायक	225	135	157	48	126	29	312	220	441	127	98	152
पंचायत चौकीदार	363	211	228	65	204	41	473	283	760	229	151	235
कनिष्ठ लेखापाल	2	-	-	3	2	2	-	1	-	-	-	-
कनिष्ठ आशुलिपिक	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
कुल	**927**	**549**	**614**	**184**	**522**	**117**	**1187**	**783**	**1937**	**572**	**384**	**615**

अंकेक्षण:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की धारा (1) में प्रावधान है कि पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा करने के निदेशक के नियन्त्रणाधीन एक पृथक तथा स्वतन्त्र संपरीक्षा अभिकरण होगा, तथा वर्तमान में पचायतों के आय—व्यय

पर उचित वित्तीय नियन्त्रण के लिए मुख्यालय में उप नियन्त्रक (अंकेक्षण), जिला अंकेक्षण अधिकारी तथा प्रत्येक जिले में एक जिला अंकेक्षण अधिकारी नियुक्त है। जिला अंकेक्षण अधिकारी जिला पंचायत अधिकारी के नियन्त्रण में रखे गये हैं तथा हर जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुपात में पंचायत अंकेक्षक नियुक्त है। एक अंकेक्षक 35 ग्राम पंचायतों के अंकेक्षण हेतु कार्यरत है।

60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों का हर वित्तीय वर्ष में एक बार अंकेक्षण करवाया जाता है। जिला परिषदों का अंकेक्षण उप नियन्त्रक (अंकेक्षण) पंचायती राज करते है। पंचायत समितियों का अंकेक्षण जिला अंकेक्षण अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण पंचायत अंकेक्षक करते है। इसके अतिरिक्त जिला अंकेक्षण अधिकारी द्वारा जिला में 10 प्रतिशत पंचायतों का टेस्ट अंकेक्षण भी किया जाता है। उन ग्राम पंचायतो तथा पंचायत समितियों जहां पर सभा निधि या समिति निधि में गबन के गम्भीर मामलों में पुनः अंकेक्षण करवाने की भी व्यवस्था है। पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन के कारण पंचायतों के अंकेक्षण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि अंकेक्षण स्टाफ तथा पंचायत सहायक/पंचायत सचिव निर्वाचन कार्य में व्यस्त थे। इसके अतिरिक्त 7 जिला अंकेक्षण अधिकारियों/प्रशिक्षकों तथा 11 अंकेक्षकों के पद रिक्त थे। ग्राम पंचायतो तथा पंचायत समितियों का 1–4–2010 से 31–3–2011 तक किये गए अंकेक्षण का विवरण निम्न तालिका अनुसार हैः–

क्र0 सं0	जिला का नाम	जिला परिषदों की संख्या		पचांयत समितियों की संख्या		ग्राम पचांयतों की संख्या	
		कुल	अंकेक्षित	कुल	अंकेक्षित	कुल	अंकेक्षित
1	लाहौल स्पिति	1	-	2	0	41	05
2	किन्नौर	1	1	3	0	65	13
3	शिमला	1		10	0	363	114
4	सोलन	1		5	0	211	56
5	सिरमौर	1	-	6	3	228	38
6	बिलासपुर	1		3	0	151	43
7	मण्डी	1	-	10	0	473	94
8	कुल्लू	1		5	1	204	57
9	ऊना	1		5	0	235	79
10	हमीरपुर	1		6	1	229	59
11	कांगड़ा	1	-	15	0	760	130
12	चम्बा	1	-	7	0	283	75
	कुल	**12**	**1**	**77**	**5**	**3243**	**763**

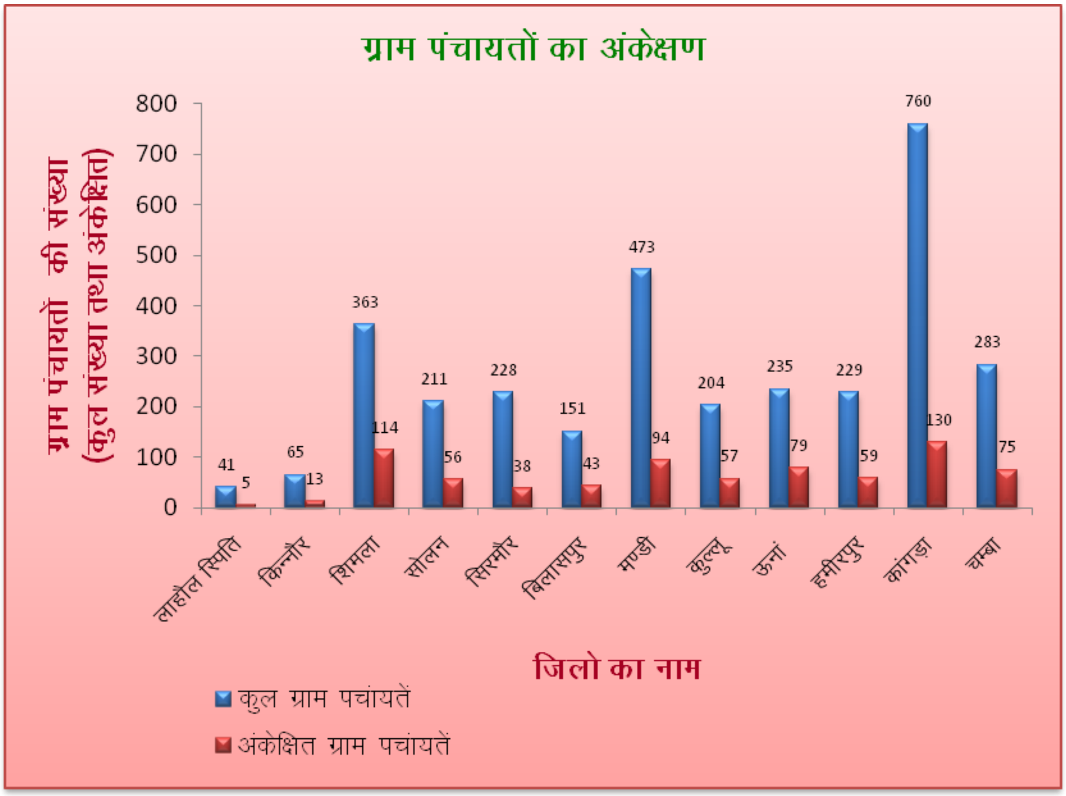

निरीक्षणः

प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायतों को निरीक्षण पंचायत निरीक्षकों द्वारा तथा पंचायत समितियों का निरीक्षण जिला पंचायत अधिकारियों या विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन होने के कारण पंचायतों के निरीक्षण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। क्योंकि पंचायत निरीक्षक/उप–निरीक्षक/पंचायत सचिव/ पंचायत सहायक निर्वाचन में व्यस्त थे।

वर्ष 1–4–2010 से 31–3–2011 तक निरीक्षण का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	**जिला का नाम**	**ग्राम पचांयत की संख्या**	
		कुल	**निरीक्षत**
1.	लाहौल स्पिति	41	32
2.	किन्नौर	65	7
3.	शिमला	363	29
4.	सोलन	211	63
5.	सिरमौर	228	12
6.	बिलासपुर	151	51
7.	मण्डी	473	97
8.	कुल्लू	204	40
9.	ऊना	235	168
10.	हमीरपुर	229	102
11.	कांगड़ा	760	220
12.	चम्बा	283	0
	कुल	**3243**	**821**

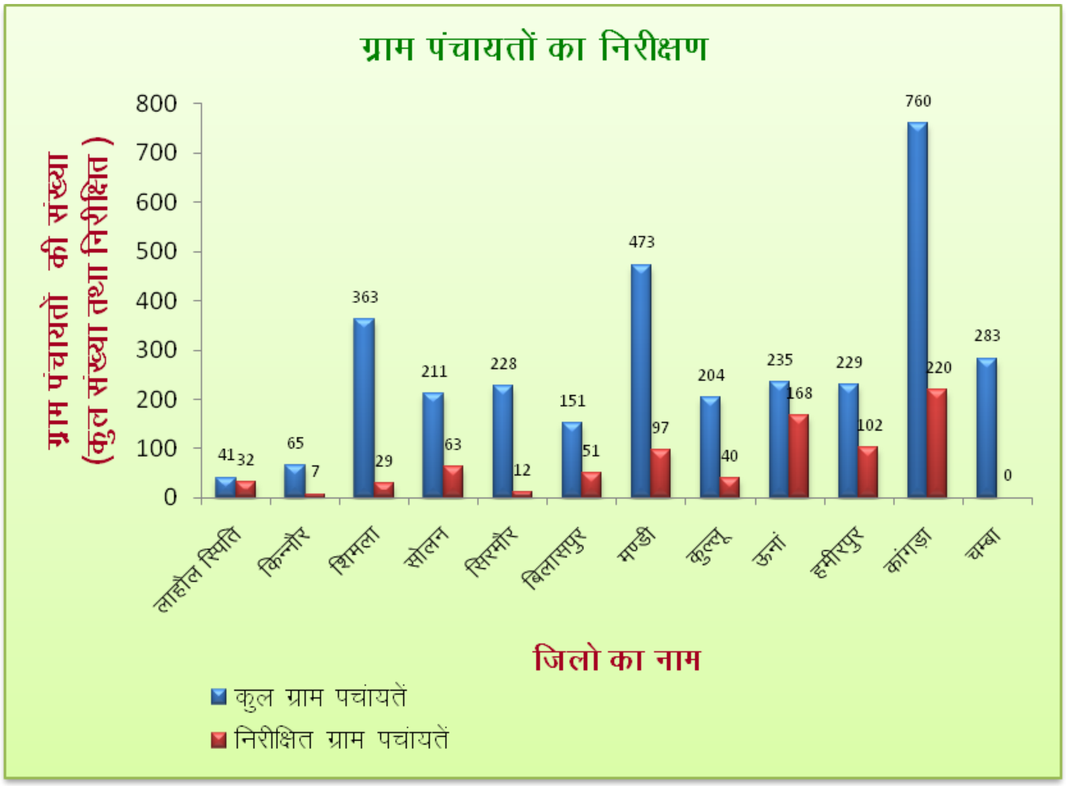

अध्याय–5

प्रशिक्षणः

किसी भी संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु मानव संसाधन विकास किया जाना अनिवार्य है इस उद्वेश्य की प्राप्ति हेतु पचायंती राज पदाधिकारी के प्रशिक्षण हेतु विभाग में दो प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा, शिमला, तथा बैजनाथ में स्थित है। प्रशिक्षण के उद्वेश्य निम्नलिखित हैः–

1 अधिनियम व नियम जानकारी उपलब्ध करवाना।

2 पंचायती राज पदाधिकारियों को अभिलेखों एवं लेखाओं की प्रक्रिया से अवगत करवाना।

3 ग्राम पंचायतों को न्यायिक कार्य व रिकार्ड की संधारण की प्रक्रिया का प्रशिक्षण देना।

4 स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।

5 पंचायती राज पदाधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं से अवगत करवाना।

सभी जिलों तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों में 30.4.2011 तक प्रदान किये गये प्रशिक्षण की स्थितिः–

क0 सं0	जिले का नाम	प्रधान		उप–प्रधान		सदस्या		विभागीय कर्मचारी		कुल उपस्थिति
		M	F	M	F	M	F	M	F	
1	कांगड़ा	157	190	339	5	918	1236	238	38	3121
2	सिरमौर	68	71	141	1	360	814	102	25	1582
3	सोलन	58	51	108	-	260	384	81	17	959
4	कुल्लू	63	52	109	1	276	388	68	22	979
5	बिलासपुर	21	23	45	-	114	175	40	3	421
6	ऊना	50	53	95	3	236	354	74	24	889
7	हमीरपुर	57	62	119	-	278	414	93	21	1044
8	चम्बा	102	102	204	1	509	609	188	-	1715
9	शिमला	99	94	198	2	452	654	139	38	1676
10	मण्डी	106	101	204	2	528	751	174	20	1886
11	किन्नौर	12	9	22	-	42	59	15	6	165
12	लाहौल–स्पिति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	793	808	1584	15	3973	5838	1212	214	14437

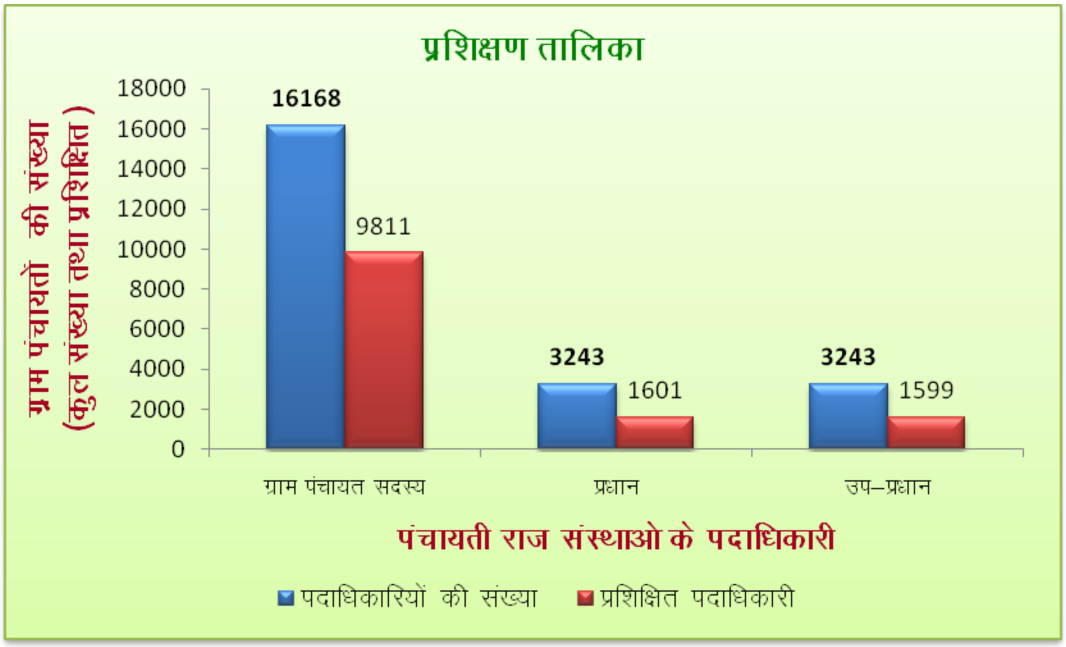

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में कर्मचारी वर्गः

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा तथा बैजनाथ में एक पद प्राचार्य, तीन पद प्रशिक्षक, दो पद लिपिक, दो पद सेवादार तथा एक पद बावर्ची का प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र मे स्वीकृत है।

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा में आधारभूत ढांचाः

1. प्रतिभागियों हेतू छात्रावास सुविधा के साथ–साथ भोजनालय सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास भवन में 10 कमरे है तथा प्रत्येक कमरे में 5 बैड है तथा इस प्रकार से 50 प्रतिभागियों की एक समय में रहने की क्षमता है।
2. एक बडा प्रशिक्षण/कॉनफ्रेंस हाल प्रशिक्षण तथा कार्यशाला के आयोजन हेतू उपलब्ध है जिसमें एक समय में 60 प्रतिभागियों के बैठने की क्षमता है। एक कम्पयूटर लेब की भी स्थापना की गई है।
3. अतिथि विशेषज्ञ के लिए 6 सेटों का कार्य निर्माण अधीन हैं
4. महिला छात्रावास का पृथक से निर्माण किया जा रहा है जिसमें 25 से 30 प्रतिभागी एक समय ठहरने की क्षमता है।

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ के नये भवन के लिए मु0 6.44 करोड़ स्वीकृत किये गये। प्रस्तावित भवन की चार मंजिले होंगी तथा उसका क्षेत्रफल 3750.85 वर्गमीटर होगा जिसमें प्रशासनिक ब्लॉक, कक्षा कक्ष, लाईब्रेरी हाल, कॉमन कक्ष, खेल हाल, सम्मेलन हॉल, कमरे, अतिथि कक्ष, योजना कक्ष, रसोई तथा महिला एवं पुरुषों के लिए होस्टल होगा। भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा एक वर्ष के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा।

अन्य सुविधाएंः

इन संस्थानों में लाइब्रेरी की सुविधा के साथ–साथ ऑडियों विजवल (एलसीडी, कम्पयूटर) है। इन संस्थानों में पंचायती राज पदाधिकारियों तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों जैसे पंचायत निरीक्षक, अंकेक्षक एवं पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण के उपरान्त विभागीय परीक्षाओं को भी उर्तीण करना होता है।

अध्याय–6

पंचायत भवनः

पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को ठहरने की सुविधा प्रदान करने के उद्वेश्य से हर जिला मुख्यालय पर पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है तथा जिला कांगड़ा, सोलन, किन्नौर को छोड़कर शेष सभी जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण है। राज्य स्तरीय पंचायत भवन शिमला में निर्मित है, जिसका नियन्त्रण राज्य स्तरीय प्रबन्धक समिति के अधीन रखा गया है, जिसके अधीन एक कार्यकारी समिति भी गठित है जो पंचायत भवन के वार्षिक आय–व्यय के साथ–साथ पंचायत भवन के सुचारू संचालन के कार्यवाही योजना का अनुमोदन करती है। प्रबन्धत समिति की बैठके आवश्यकता अनुसार की जाती है और पंचायत भवन के कार्य संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उप–विधियां भी बनाई गई है।

जिला परिषद भवनः

73वें संविधान संशोधन तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पचांयती राज प्रणाली की स्थापना की गई तथा जिला परिषदें प्रथम वार 1996 में आस्तित्व में आई। जिला परिषद कार्यालय भवनों हेतू उचित बजट प्रावधान किया गया। जिला परिषद बिलासपुर, कांगडा, सिरमौर सोलन, हमीरपुर, किन्नौर, चम्बा, ऊना, कुल्लू तथा मण्डी के भवनों का कार्य पूर्ण हो गया है तथा उन्होंने अपने भवनों में कार्य करना शुरू कर दिया है । जिला परिषद शिमला तथा लाहौल–स्पिति के भवनों का कार्य अभी शुरू किया जाना है। जिन जिला परिषद भवनों का कार्य प्रगति पर है व अभी शुरू किया जाना है वे अन्य सरकारी भवनों में अपना कार्यालय का कार्य कर रहे है।

अध्याय–7

क. फण्ड

वार्षिक योजना 2007–12 का प्रारूप योजना विभाग की स्वीकृति हेतू प्रेषित किया गया है।

वर्ष 2010–11 के लिए विभाग की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत बजट प्रावधान तथा व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

योजना/गैर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रावधान एवं व्यय वर्ष 2010–11 पंचायती राज विभाग (गैर जनजातीय)

(रुपये लाखों में)

क0 सं0	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत बजट	संशोधित /जमा राशि	कुल(3+4)	खर्चा	बकाया
1	2	3	4	5	6	7
	मांग संख्याः 20					
1	2515-00-101-02(सून) पी-42	**25.00**	**-**	**25.00**		
	शपथ समारोह				25.00	
	योगः	**25.00**		**25.00**	**25.00**	
2	**2515-00-101-02** (सून) एनपी	**807.96**	-	**591.99**		
	2515-00-101-02 (सून) एनपी 42	**61.00**	-			
	➢ प्रशिक्षण	50.00			50.00	-
	➢ प्रशिक्षण सामग्री	5.00			5.00	-
	➢ सम्मेलन	5.00			5.00	-
	➢ मनोरंजन एवं आतिथ्य	1.99			1.99	-
	योग	**61.99**	-		**61.99**	
	2515-00-101-02(सून) एनपी 44	**530.00**				
	➢ निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को इनाम	530.00			530.00	-
	योगः	**530.00**			**530.00**	
	कुल योगः	**807.95**		**591.99**	**591.99**	**215.96** (पुनर्विनियोजन मुख्य मद **2515-00-101-08**(सून) एनपी **-**

						44)
	2515-00-003-04(सून) पी	**10.00**	**-**	**10.00**		
	प्रशासनिक ब्लॉक मशोबरा का निर्माण				**10.00**	
	योग:			**10.00**	**10.00**	
3	**2515-00-101-07** (सून) एनपी **-44** जीआईए	**5187.00**	**45.83**	**5232.83**		
	➢ 13वें वित्तायोग के अन्तर्गत जिला परिषद को अनुदान				2639.33	
	➢ 13वें वित्तायोग के अन्तर्गत पंचायत समिति को अनुदान				1556.10	
	➢ 13वें वित्तायोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को अनुदान				1037.40	
	योग:			**5232.83**	**5232.83**	
4	**2515-00-101-08 (सून) एनपी जीआईए**	**4802.60**	**720.06+ 215.96**	**5738.62**		
3	2515-00-101-08 (सून) एनपी -41 जीआईए	4444.87				
	➢ मानदेय कनिष्ठ लेखापाल				4.08	
	➢ वेतन चौकीदार				313.67	
	➢ वर्दी चौकीदार				25.97	
	➢ वेतन कनिष्ठ अभियन्ता (नियमित)				82.85	
	➢ वेतन कनिष्ठ अभियन्ता (अनुबन्ध पर)				238.85	
	➢ मानदेय सिलाई अध्यापिका				339.49	
	➢ वेतन पंचायत सहायक/पंचायत सचिव				1726.85	
	➢ मानदेय पंचायत पदाधिकारी				1646.84	
	➢ मानदेय कनिष्ठ आशुलिपिक				9.68	
	➢ यात्रा भत्ता जिला परिषद				3.00	
	➢ यात्रा भत्ता पंचायत समिति				7.00	
	➢ यात्रा भत्ता ग्राम पंचायत				46.59	
	योग:				**4444.87**	
	2515-00-101-08 (सून) एनपी -42 जीआईए	347.29				
	➢ कार्यालय व्यय जिला परिषद				62.66	
	➢ कार्यालय व्यय पंचायत समिति				19.35	
	➢ कार्यालय व्यय ग्राम पंचायत				260.22	
	➢ गिरीराज साप्ताहिक				5.06	
	योग:				**347.29**	
	2515-00-101-08 (सून) एनपी -44	946.46				

	जीआईए					
	➢ निर्माण कार्य				946.46	
	योगः	**946.46**			**946.46**	
	कुल योगः			**5738.62**	**5738.62**	
5	2515-00-101-09 (सून) एनपी	2346.00	-	2346.00		
	➢ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि				2346.00	
	योगः			**2346.00**	**2346.00**	
6	2515-00-101-10 (सून) एनपी	219.70	-	219.70		
	➢ लघु खनिज				219.70	
	योगः			**219.70**	**219.70**	
7	2515-00-101-11 (सून) पी	30.00	-	30.00		
	➢ जीटीजेड प्रोजेक्ट				30.00	
	योगः			**30.00**	**30.00**	
8	4216-02-800-01(सून) योजना	2.00	-	2.00		
	➢ जिला पंचायत अधिकारी निवास				2.00	
	योगः			**2.00**	**2.00**	
9	4216-02-800-01(सून) योजना	32.00	-	32.00		
	➢ पंचायत निरीक्षक/उप निरीक्षक निवास				32.00	
	योगः			**32.00**	**32.00**	
10	4515-00-101-01(सून) योजना	5.00	-	5.00		
	➢ जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय भवन				5.00	
	योगः			**5.00**	**5.00**	
	मांग संख्याः 32					
1	2515-00-789-01(सून) योजना	295.00	295.00	**295.00**		
	सामुदायिक भवन निर्माण				295.00	
	योगः			**295.00**	**295.00**	
2	2515-00-789-02(सून) योजना	700.00	-	700.00		
	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि				700.00	
	योगः			**700.00**	**700.00**	
	कुल योगः			**15228.14**	**15228.14**	

ख. सामान्य बजट तथा आर0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में पचांयत घर के निर्माण हेतू स्वीकृत अनुदान।

(रूपये लाखों में)

क0सं0	जिले का नाम	पंचायतों की संख्या	प्राप्त राशि
1	बिलासपुर	15	51.00
2	ऊना	10	34.00
3	चम्बा	-	-
4	सोलन	25	85.00
5	सिरमौर	-	-
6	कांगडा	65	221.00
7	कुल्लू	26	88.40
8	मण्डी	90	306.00
9	हमीरपुर	12	40.80
10	शिमला	57	193.80
	कुल	**300**	**1020.00**

सूचना का अधिकार अधिनियमः

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए निम्न अधिकारियों को नामित किया गया हैः–

राज्य स्तरीयः

क्र0सं0	**वर्तमान पद नाम सहित अधिकारी का नाम**	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**
1	अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त सचिव	अपील प्राधिकारी
2	उप निदेशक	लोक सूचना अधिकारी
3	उप नियन्त्रक (लेखा परीक्षा)	सहायक लोक सूचना अधिकारी

जिला स्तरीयः

जिला शिमलाः

क्र0सं0	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**	**वर्तमान पद नाम**	श्रेत्राधिकार (श्रेत्र / विषय)	दुरभाष / फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिलाधीश	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	0177-2657005
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	0177-2657028
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	0177-2657028

जिला सोलनः

क0सं0	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**	**वर्तमान पद नाम**	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र / विषय)	दुरभाष / फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिलाधीश	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01792-223705
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01792-223756
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01792-223756

जिला सिरमौर स्थित नाहनः

क0सं0	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**	**वर्तमान पद नाम**	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र / विषय)	दुरभाष / फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिलाधीश	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01792-222410
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01792-222272
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01792-222272

जिला किन्नौरः

क्र0सं0	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**	**वर्तमान पद नाम**	श्रेत्राधिकार (श्रेत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिलाधीश	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01786-222290
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01786-222290

जिला कुल्लूः

क्र0सं0	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**	**वर्तमान पद नाम**	श्रेत्राधिकार (श्रेत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिलाधीश	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01902-222226
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01902-222306
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01902-222306

जिला लाहौल –स्पीति स्थित केलांगः

क0सं0	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**	**वर्तमान पद नाम**	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिलाधीश	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01900-222457
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01900-222457

जिला मण्डीः

क0सं0	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**	**वर्तमान पद नाम**	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिलाधीश	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01905-225205
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01905-223025
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01905-223025

जिला हमीरपुरः

क्र0सं0	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**	**वर्तमान पद नाम**	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिलाधीश	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01972-224324
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01972-222407
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01972-222407

जिला बिलासपुरः

क्र0सं0	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**	**वर्तमान पद नाम**	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिलाधीश	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01978-224763
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01978-223871
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01978-223871

जिला कांगडा स्थित धर्मशालाः

क0सं0	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**	**वर्तमान पद नाम**	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र / विषय)	दुरभाष / फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिलाधीश	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01892-223321
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01892-223209
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01892-223209

जिला चम्बाः

क0सं0	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**	वर्तमान पद नाम	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र / विषय)	दुरभाष / फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिलाधीश	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01899-222540
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01899-222204
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01899-222204

जिला ऊनाः

क्र0सं0	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**	**वर्तमान पद नाम**	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र / विषय)	दुरभाष / फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिलाधीश	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01975-225188
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01975-222607
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01975-222607

<u>**खण्ड स्तर पर**</u>

क्र0सं0	**अधिकारी / कर्मचारी**	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**
1	कार्यकारी अधिकारी एंवम खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिती	अपील प्राधिकारी
2	निरीक्षक (पंचायत)	लोक सूचना अधिकारी
3	उप निरीक्षक (पंचायत)	सहायक लोक सूचना अधिकारी

<u>**ग्राम पंचायत स्तर पर**</u>

क्र0सं0	**अधिकारी / कर्मचारी**	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**
1	उप मंण्डल अधिकारी (नागरीक)	अपील प्राधिकारी
2	खण्ड विकास अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी
3	सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव	सहायक लोक सूचना अधिकारी

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ और मशोबरा

क0सं0	वर्तमान पद नाम	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	दुरभाष (मशोबरा)	दुरभाष (बैजनाथ)
1	प्राचार्य	अपील प्राधिकारी	95177–2740227	951894–263041
2	वरिष्ठ प्रशिक्षक	लोक सूचना अधिकारी	95177–2740227	951894–263041
3	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	सहायक लोक सूचना अधिकारी	95177–2740227	951894–263041

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला किन्नौर

क0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम
1	अपील प्राधिकारी	परियोजना अधिकारी, जन जातीय विकास कार्यक्रम एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद किन्नौर.
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी एंव सचिव, जिला परिषद किन्नौर.
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी किन्नौर.

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला कुल्लू

क0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त उपायुक्त एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कुल्लू.
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी एंव सचिव, जिला परिषद कुल्लू.
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी कुल्लू.

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला लाहौल स्पीति स्थित केलांग

क0सं0	अपील प्राधिकारी का नाम /लोक सूचना अधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी	पद एंव कार्यालय पता	क्षेत्राधिकार (स्थान/विषय)
1.	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	पंचायती राज संस्थाओं का जिला स्तर पर निरीक्षण
2.	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी	पंचायती राज संस्थाओं में जिला स्तर पर अंकेक्षण का कार्य संचालन करना

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला सिरमौर , नाहन

क0सं0	पद का नाम	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	अपील प्राधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी–सचिव, जिला परिषद सिरमौर
2	अधीक्षक, जिला पंचायत अधिकारी–सिरमौर स्थित नाहन	लोक सूचना अधिकारी
3	नीजी सहायक, जिला परिषद	सहायक लोक सूचना अधिकारी

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला मण्डी

क0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त उपायुक्त एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी–सचिव, जिला परिषद
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला सोलन

क0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिलाधीश –कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद. सोलन
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी–सचिव, जिला परिषद सोलन
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी सोलन

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला शिमला

क0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिला उपायुक्त अधिकारी, जिला परिषद. शिमला.
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी–सचिव, जिला परिषद शिमला
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी शिमला.

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला हमीरपुर

क0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिला दंण्डा अधिकारी, एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद हमीरपुर.
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी–सचिव, जिला परिषद हमीरपुर.
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी हमीरपुर.

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला चम्बा

क0सं0	पद का नाम	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	अतिरिक्त जिला दंण्डा अधिकारी, एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चम्बा	अपील प्राधिकारी .
2	जिला पंचायत अधिकारी–सचिव, जिला परिषद चम्बा	लोक सूचना अधिकारी .
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी जिला अंकेक्षण अधिकारी चम्बा	सहायक लोक सूचना अधिकारी

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला ऊना

क0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त उपायुक्त एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ऊना
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी–सचिव, जिला परिषद ऊना
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी ऊना

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला बिलासपुर

क0सं0	पद का नाम	प्राधिकारी	क्षैत्राधिकार
1	जिला पंचायत अधिकारी	अपील प्राधिकारी	जिला परिषद बिलासपुर
2	जिला अंकेक्षण अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	जिला परिषद बिलासपुर
3	अधीक्षक	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला परिषद बिलासपुर

<u>सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला कांगडा स्थित धर्मशाला</u>

क्र0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त उपायुक्त एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कांगडा
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी–सचिव, जिला परिषद कांगडा
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी कांगडा

पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचना www.hppanchayat.nic.in में उपलब्ध है।